## (To be published in Part I Section 1 of the Gazette of India) Government of India Ministry of Textiles

New Delhi, the \o January, 2017

#### RESOLUTION

**No.6/18/2016-TUFS.** The Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS) was notified vide Resolution No. 6/5/2015-TUFS dated 13.01.2016. The Guidelines of ATUFS have been issued vide Resolution No. 6/5/2015 – TUFS dated 29.02.2016. Financial and operational parameters and implementation mechanism for ATUFS during its implementation period from 13.01.2016 to 31.03.2022 are laid down in the said Guidelines.

- 2. The Ministry notified the Scheme for Production and Employment Linked Support for Garmenting Units (SPELSGU) under ATUFS to incentivise production and employment generation in the garmenting sector vide Resolution of even number dated 25<sup>th</sup> July, 2016. Under SPELSGU, the additional incentive of 10% will be provided to the garmenting units which would be availing the 15% Capital Investment Subsidy (CIS) under ATUFS for the installation of benchmarked eligible machinery. The cap on capital investment subsidy for the eligible machines in the garmenting units has, therefore, been enhanced from Rs. 30 crore which was the cap under ATUFS, to Rs. 50 crore. This additional subsidy of 10% will be on achievement of the projected production and employment generation, as stated by the unit in the Detailed Project Report (DPR). The SPELSGU has come into effect from 13.01.2016 till 31.03.2019.
- 3. The Government has further approved reforms inter alia to boost Employment Generation and Exports in the Made-Ups Sector to provide production incentive through enhanced TUFS subsidy for made-ups similar to what is provided to garmenting unit based on additional production and employment under SPELSGU. An additional subsidy of 10% will also be provided to the made-ups units enhancing the cap to Rs. 50 crore on the lines of SPELSGU under ATUFS based on achievement of the projected production and employment as given in the Detailed Project Report (DPR). The additional subsidy will be disbursed after a period of three years. This will be based on a verification mechanism linked to production volume, employment and turnover. The Scheme will come into effect from 13.01.2016 till 31.03.2019.

#### 1. OBJECTIVE:

To boost employment generation and exports in the made-ups sector, the Government would provide an additional 10% Capital Investment Subsidy (CIS) for made-ups units who have availed 15% CIS benefit under ATUFS based on the achievement of projected production and employment after a period of 3 years. The period of 3 years will be counted from the date of release of ATUFS subsidy to the unit.

### 2. GENERAL ELIGIBILITY CONDITIONS

The made-ups units who have availed 15% CIS under ATUFS and fulfill the achievement of the production and employment generation after three years period as given below are only eligible for additional 10% CIS under the scheme:

- (i) The production of made-ups made during the last 3 years is equal to or more than the expected production as per DPR and norms under GR (in accordance with the ratio given in the DPR subject to minimum investment to turnover ratio of 1:5).
- (ii) The employment generation shall be in accordance with the employment figures given in the DPR subject to the minimum of the industry norm of 60 jobs per one crore rupees of investment (single shift working).

The additional subsidy shall be disbursed only after achieving the above two conditions at the end of the three years period.

### 3 NORMS FOR ELIGIBLE SUBSIDY

- 3.1 Every eligible made-ups unit which has availed 15% benefit under ATUFS will be paid an additional 10% Capital Investment Subsidy (CIS) on the eligible investment upto an additional maximum cap of Rs.20 crores. Thus, the total cap on subsidy for such a unit is enhanced under ATUFS from Rs. 30 crores to Rs. 50 crores (Rs.30 crores for 15% CIS and Rs.20 crores for additional 10% CIS respectively). This additional subsidy will be disbursed after a period of 3 years. This will be based on a verification mechanism linked to production volume, employment and turnover. The parameters for operationalizing the scheme will be as follows:
- 3.1.1 The production of the made-ups unit shall be in accordance with the ratio given in the DPR subject to minimum investment to turnover ratio of 1:5. In case of an existing made-ups unit, the production of the unit shall be in accordance with the ratio given in the DPR subject to minimum additional investment to additional turnover ratio of 1:5.
- 3.1.2 The employment generation shall be in accordance with the employment figures given in the DPR subject to a minimum of the industry norm of 60 jobs per one crore rupees of investment.
- 3.2 Under ATUFS, there is a Joint Inspection Team (JIT) mechanism for assessing and certifying the eligibility and eligible subsidy amount. The JIT verifies the machines installed under ATUFS. This mechanism will be utilised to assess the employment and production figures furnished by the units in Format –A.

#### 4. BUDGET ALLOCATION

Funds for meeting additional CIS for made-ups units will be provided for in the ATUFS budget in the respective years.

### 5. OPERATIONAL PARAMETERS

- 5.1 The applicants will upload the production and employment details along with their claim form and declaration as at Format-A for additional 10% CIS.
- 5.2 The JIT will verify the details and submit report in the format prescribed as at Format-B to the Textile Commissioner through the i-ATUFS software.
- 5.3 After examining the report of JIT, the Textile Commissioner will submit claim through the i-ATUFS software to the Ministry of Textiles for release of eligible subsidy.
- 5.4 All other conditions including the implementation mechanism, the monitoring mechanism, the safeguards against mis-utilisation, the grievance redressal mechanism, the amendment of guidelines etc., continue to remain the same as per guidelines of ATUFS to the extent applicable.

(Pushpa Subrahmanyam)

Additional Secretary to the Government of India

### FORMAT - A

### CLAIMS FORM FOR ADDITIONAL 10% CAPITAL INVESTMENT SUBSIDY FOR MADE-UPS

PART-I

					Г	ANI-I						
1.		eference	Number									
2.	UID No	. & date										
3	Unit's company registration details or					Plea	Please upload a copy					
	registra	tion deta	ils with a	appropria	ate							
	authorit	ty										
4	Copy of	f recent e	lectricit	Plea	se uplo	ad a copy	I					
5.	Date of	last JIT co	onducted	CIS								
6.	Date of submission of request by the				(auto	genera	ted from s	system)		0 - 17		
	TUFS applicant											
7.		employm	ent gene	erated				23				
	45.2 (2000) 4 (4.200) 144C, (2014) 4 C (201	1 ,										
	Actual employment generated after completion of this project (Level wise)											
					autoria e constituente suo autori enere encorre no con con antinatoria. Per e vigori con con antinatoria anti-		Parsons co			overed under		
	Managerial		Super	rvisory wo		orkers	T	Total		EPF scheme		
	Men	Women	Men	Women	Men	Women	Men	Women	Men	Women	Total	
								-				
									<u> </u>			
	NY 1 C				3.5						700 700 700	
					as Mu	ster Roll/	Employ	er's Con	tributi	on toward	s EPF	
0		s etc have		noaded.			S					
8.	Actual production made											
				Tota			pletion of this project					
	No. of pieces Year 1 Year 2 Year 3		Year 3		Turnover (in Year 1		Year 2	Year 3				
		-	10012	10010		2001 2				10010		

### Certified that:

The information furnished in this format is true and correct and furnished based on the documentary evidences available with the unit, which may be verified by the designated officers at any time.

77.1				
PI	0	0	0	
1 1	a	u	C	

(Signature)

Date:

(Name and designation of the authorised signatory)

Note: Please affix seal/rubber stamp of the Company / Unit along with signature of the authorized signatory.

Fill in all the Items with specific details.

### PART-II

Declaration to be furnished by the unit at the time of JIT (On unit's letter head)

1. It is certified that I/Wehas/have been pre-authorised and received 15% CIS under ATUFS for made-ups segment.
2. It is certified that I/Wehas/have also been pre-authorized for an amount of Rs under A-TUFS for 10% additional CIS for made-ups segment.
3. I/We (Name of the beneficiary unit) hereby certify that no machinery or any part thereof, for which benefits are being claimed/taken under TUFS, has been funded more than once from this bank and any other banks/Lending Agencies/Financial Institutions. A copy of duly signed certificate (in specified format) is uploaded which will be produced to JIT in original at the time of claiming subsidy.
4. I / we hereby undertake that in case of any variation / deficiency found in achievement of expected production and employment generation as per DPR/norms under guidelines of the GR, during the verification of the documents, assets of the company/ unit, or at any later stage, the benefits availed under A-TUFS will be returned to bank(s)/ Government with the applicable penal interest from the date of its receipt.
5. I/Weundertake that the unit has been operational for the last three years from to
(Signature) Name and Designation along with Seal

### CERTIFICATION BY JOINT INSPECTION TEAM (JIT) ON ACHIEVEMENT OF EXPECTED PRODUCTION, TURNOVER AND EMPLOYMENT GENERATION BY MADE-UPS UNITS INTENDING TO AVAIL ADDITIONAL 10% CIS UNDER ATUFS

- 1. Date of Receipt of Unit's Application in O/oTxC:
- 2. UID No. Allotted by O/oTxC:

~	-	-	~	
3.	Date	at	Inspec	tion:
2 .	Date	UL	HISDEC	uon.

	J. Date of hispection.							
4	Name & Address of the unit inspected							1
	with pin code							
	Taluka/Tahasil/Mandal:							
	District:							
	State:							
	Pincode:							
	Phone No./Mobile No.							
	Fax No.							
	E-Mail ID							
	Unit PAN No.							
	SSI Reg./EM No. & Date				10			
	Name of Contact Person							
	Contact No.:							
	Whether the unit found working on the	Yes	No					
	address mentioned in the UID							
	application.			•				
	**							
5.	If not, then actual address of the unit.							
	Taluka/Tehsil/Mandal:							
	District:							
	State:							
	Pincode:							
6.	a)Whether details submitted in	Yes	No					
	FORMAT-A by the unit and certified							
	by the bank are found correct or not							
	b) If not, please specify							
	c) Whether Declaration in FORMAT	Yes	No					2
	C1 is obtained from the unit and							
	attached							
7	a)The production and turnover made		Total A	fter comple	tion of the	project		
	during the last 3 years	P	lo. of pieces	(	T	urnover (in F	₹s.)	
		Year 1	Year 2	Year 3	Year 1	Year 2	Year 3	
						-		4
						+		-
								+
	Note: The production figures will be	tallied agains	t the figu	ires reflec	eted in So	les Tax r	ecords/	
	excise records/audited annual account					iles Iaa i	ccor us/	
	b) Whether the production made	Yes	No					
	during the last 3 years is equal to or	474767						
	more than the expected production as			_				
	per DPR and norms under GR (Ratio							
	as per DPR subject to minimum							
	investment to turnover ratio of 1:5)							

		-									
	and contevidence		m the do	ocumentary	7						
8.	a) Emplo last 3 year	oyment ger ars	nerated d	uring the		8					
			Actual en	nployment g	enerated	after compl	etion of th	e project (L	evel wise)		
	Man	a massical						otal	- 4	covered un	der EPF
		agerial		rvisory		rkers		F 3903		scheme	
	Men	Women	Men	Women	Men	Women	Men	Women	Men	Women	Total
								-			
		-									
	Note: T	he employ	mont nu	mbers wil	l he tall	ied agains	t the me	mhere in	the Emr	lover's	
				F Records					the Emp	noyer s	
				it generated					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
				equal to or			No		7		
				mploymen							
	generation as per DPR and norms under GR (as per DPR subject to a										
	minimum of the industry norm of										
	60 jobs per one crore rupees of										
	investment) and confirmed that										
0	they are covered under EPF  a) The amount of additional 10% CIS										
9.	a) The a under A'		additiona	al 10% CIS	Rs.						
	under 11	1015									
	The state of the s			10% CIS is							
	Temperature and an artist and			s. 20 crores 1 10% CIS			No		7		
		f any earlie		1070 CI	,						
10.	Total c	ost of	eligible	machinery	7						
	consider	ed for 15%	6 CIS uno	der ATUFS	Rs		-				
	Machines installed/commissioned					tional 10%	6 CIS				
	under A'		arroar cor	iminorone			v CIS				
	0.5										
	(Machin given A		be furni	ished as pe	r						
		JIT recom	ımends f	or release	Yes/	No					
	of subsid	dy			1 531						
	If yes, th	en eligible	investm	lent	Rs		_				
	If no, rea	ason thereo	of								
11.		subsidy			r Rs						

Signature of the Owner/ Authorized person of the Unit with seal

(JIT signatures)

# (भारत के राजपत्र के भाग । खंड 1 में प्रकाशनार्थ) भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2017

### संकल्प

- एटीयूएफएस के दिशानिर्देश दिनांक 29.02.2016 के संकल्प सं. 6/5/2015-टीयूएफएस के माध्यम से जारी किए गए हैं। दिनांक 13.01.2016 से 31.03.2022 तक इसके क्रियान्वयन की अवधि के दौरान एटीयूएएफएस के वित्तीय और प्रचालनात्मक मानदंड तथा क्रियान्वयन तंत्र उक्त दिशानिर्देशों में दिए गए सं. 6/5/2015-टीयूएफएस के माध्यम से अधिस्चित किया गया था। सं. 6/18/2016-टीयूएफएस. संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) संकल्प
- और रोजगार मृजन को बढ़ावा देने के लिए एटीयूएफएस के तहत उत्पादन और रोजगार संबद्ध सहायता योजना (एसपीईएलएसजीयू) अधिसूचित की हैं। उत्पादन और रोजगार संबद्ध सहायता योजना (एसपीईएलएसजीयू) के तहत उन परिधान इकाइयों को 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा जो पात्र मंत्रालय ने दिनांक 25 जुलाई, 2016 के समसंख्यक संकल्प के तहत परिधान क्षेत्र में उत्पादन बेंचमार्क मशीनरी की स्थापना के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत 15% पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्राप्त करने होंगे। इसलिए परिधान इकाइयों में पात्र मशीनों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी की सीमा को यह अतिरिक्त सब्सिडी, इकाई द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में यथा उल्लिखित अनुमानित उत्पादन और रोजगार सृजन की प्राप्ति पर आधारित होगी। एसपीईएलएसजीयू दिनांक 13.01.2016 से 30 करोड़ रुपए जो एटीयूएफएस की सीमा थी, से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 10% 31.03.2019 तक प्रभावी रहेगी।
- भी प्रदान की जाएगी जिससे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में दिए गए अनुमानित उत्पादन और रोजगार की प्राप्ति के आधार पर एटीयूएफएस के तहत एसपीईएलएसजीयू के अनुसार अधिकतम सीमा बढ़कर 50 करोड़ रुपए हो जाएगी। तीन वर्ष के पश्चात अतिरिक्त सब्सिडी संवितरित की जाएगी। यह सरकार ने एसपीईएलएसजीयू के तहत अतिरिक्त उत्पादन और रोजगार के आधार पर जो सब्सिडी परिधान क्षेत्र को प्रदान की है उसी बढ़ी हुई टीयूएफएस सब्सिडी के माध्यम से उत्पादन प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मेड-अप्स क्षेत्र में अन्य बातों के साथ-साथ रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ाने के लिए और सुधारों का अनुमोदन किया है। मेड-अप्स इकाइयों को 10% की अतिरिक्त सब्सिडी जुड़े सत्यापन तंत्र पर आधारित होगा। 13.01.2016 से 31.03.2019 तक प्रभावी रहेगी। उत्पादन की मात्रा, रोजगार और कारोबार से

# उददेश्य:

इकाइयों के लिए 10% अतिरिक्त पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्रदान करेगी जिन्होंने 3 वर्ष की अवधि के पश्चात अनुमानित उत्पादन और रोजगार की प्राप्ति के आधार पर एटीयूएफएस के अंतर्गत 15% सीआईएस लाभ प्राप्त किया है। 3 वर्ष की अवधि की गणना उस इकाई के लिए एटीयूएफएस मेड-अप्स क्षेत्र में रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार उन मेड-अप्स सब्सिडी रिलीज किए जाने की तारीख से की जाएगी।

# 2. सामान्य पात्रता शर्ते

दिए अनुसार 3 वर्ष की अवधि के पश्चात उत्पादन और रोजगार की प्राप्ति को पूरी करती हैं, केवल वही मेड-अप्स इकाइयां जिन्होंने एटीयूएफएस के अंतर्गत 15% सीआईएस प्राप्त किए हैं और नीचे योजना के अंतर्गत 10% अतिरिक्त सीआईएस हेतु पात्र होंगी।

- के कारोबार अनुपात के लिए न्यूनतम निवेश के अध्यधीन डीपीआर के अनुसार अनुपात) मानकों पिछले 3 वर्ष के दौरान किया गया मेड-अप्स का उत्पादन डीपीआर और जीआर के अंतर्गत (1:5 के अनुसार अनुमानित उत्पादन के बराबर अथवा अधिक है।  $\equiv$ 
  - रोजगार सृजन डीपीआर में दिए गए रोजगार के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक एक करोड़ रुपए निवेश पर 60 नौकरी के न्यूनतम उद्योग मानदंड के अध्यधीन होगा (एक शिफ्ट में कार्य)।  $\equiv$

तीन वर्ष की अवधि के बाद उक्त दोनों शर्तें पूरी होने पर ही अतिरिक्त सब्सिडी संवितरित की

# 3. पात्र सब्सिडी के मानदंड

- प्रत्येक पात्र मेड-अप्स इकाइयां जिन्होंने एटीयूएफएस के अंतर्गत 15% का लाभ प्राप्त कर लिया है उन्हें 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त अधिकतम सीमा तक पात्र निवेश पर 10% अतिरिक्त प्ंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्रदान की जाएगी। इस प्रकार, एटीयूएफएस के अंतर्गत ऐसी इकाई के लिए सब्सिडी पर कुल सीमा को 30 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है (15% सीआईएस के लिए 30 करोड़ रुपए और 10% अतिरिक्त सीआईएस के लिए 20 करोड़ रुपए)। यह अतिरिक्त सब्सिडी 3 वर्ष की अवधि के बाद प्रदान की जाएगी। यह उत्पादन की मात्रा, रोजगार और कारोबार से संबद्ध सत्यापन तंत्र पर आधारित होगा। इस योजना को प्रचालनशील बनाने के मानदंड निम्नानुसार होंगे: 3.1
- 3.1.1 मेड-अप्स इकाई का उत्पादन 1:5 के कारोबार अनुपात के लिए न्यूनतम निवेश के अध्यधीन 1:5 के अतिरिक्त कारोबार के लिए न्यूनतम अतिरिक्त निवेश के अध्यधीन डीपीआर में दिए गए डीपीआर में दिए गए अनुपात के अनुसार होगा। मौजूदा मेड-अप्स इकाई के मामले में इकाई का उत्पादन अनुपात के अनुसार होगा।

- 3.1.2 रोजगार का सृजन प्रति करोड़ रुपए के निवेश पर 60 नौकरी के न्यूनतम उद्योग मानक के अध्यधीन डीपीआर में दिए गए रोजगार आंकड़े के अनुसार होगा।
- 3.2 एटीयूएफएस के अंतर्गत पात्रता और पात्र सब्सिडी राशि का मूल्यांकन और प्रमाणित करने के लिए संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) तंत्र है। जेआईटी, एटीयूएफएस के अंतर्गत स्थापित मशीनों का सत्यापन करता है। इस तंत्र का उपयोग प्रपत्र-क के अंतर्गत इकाइयों द्वारा प्रस्तुत किए गए रोजगार और उत्पादन के आंकड़ों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाएगा।

### 4. बजट आंबटन

मेड-अप्स इकाइयों के लिए अतिरिक्त सीआईएस को पूरा करने के लिए संबंधित वर्षों में एटीयूएफएस बजट के लिए निधियां प्रदान की जाएगी।

- प्रचालनात्मक मानदंड
- 5.1 आवेदक अतिरिक्त 10% सीआईएस के लिए प्रपत्र-क के रूप में अपने दावा फार्म और घोषणा सहित उत्पादन और रोजगार के ब्यौरे अपलोड करेंगे।
- 5.2 जेआईटी ब्यौरे का सत्यापन करेगी और आईएटीयूएफएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वस्त्र आयुक्त को प्रपत्र-ख के रूप में निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- 5.3 जेआईटी की रिपोर्ट की जांच करने के पश्चात वस्त्र आयुक्त, आईएटीयूएफएस के माध्यम से पात्र सब्सिडी की रिलीज के लिए वस्त्र मंत्रालय को दावा प्रस्तुत करेगा।
- 5.4 क्रियान्वयन तंत्र, मॉनीटरिंग तंत्र, दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा, शिकायत निवारण तंत्र, दिशानिर्देशों में संशोधन आदि सहित अन्य सभी शर्ते एटीयूएफएस के दिशानिर्देशों के अनुसार यथासंभव यथावत रहेंगी।

(पुष्पा सुब्रहमण्यम) अपर सचिव, भारत सरकार

### प्रपत्र-क

### मेड-अप्स के लिए 10% अतिरिक्त पूंजी निवेश के लिए दावा फार्म

### पार्ट-I

Clarate !	संदर्भ संख्य	П										
यूआईडी संख	ज्या और दि	नांक										
इकाई की कंपनी के पंजीकरण का ब्यौरा अथवा उचित प्राधिकार सहित पंजीकरण का ब्यौरा					कृपया	कृपया एक प्रति अपलोड करे						
नवीन बिजल	नी के बिल	की प्रति		7. 7. 1	कृपया	एक प्रति	अपलोड करे					
15% सीआईएस के लिए आयोजित पिछली जेआईटी की				ईटी की ता	रीख							
टीयूएफएस के आवेदक द्वारा अनुरोध प्रस्तुत किए जाने तारीख				नए जाने वं	नि (सिस्ट	म से तैय	ार किया गया)					
सृजित किय	ा गया वास	तविक रोजगार										
		इस परियोजना	के पूरा हो	ने के पश्च	ात सृजित कि	यागयाव	स्तविक रोजग	ार (स्तर-	-वार)			
प्रबंधकीय		सुपरवा	सुपरवाइजरी		तमगार -	कुल		ईपीएफ योजना के अंत शामिल व्यक्ति				
पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	कुल		
	9		योक्ता का	अंशदान ३	आदि जैसे सहा	यक दस्ता	वेज अपलोड वि	केए जाने	चाहिए			
किया गया	वास्तविक :	उत्पादन										
			इस	परियोजन		<u> </u>						
				2011/06/2017	र में)							
प्रथा	म वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीर	ा वर्ष	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष			
	इकाई की कं प्राधिकार सा नवीन विजल 15% सीआई टीयूएफएस तारीख स्जित किय पुरुष पुरुष नोट: मस्टर किया गया	इकाई की कंपनी के पर प्राधिकार सहित पंजीक नवीन बिजली के बिल 15% सीआईएस के लिए टीयूएफएस के आवेदक तारीख सृजित किया गया वास प्रबंधकीय पुरुष महिला	प्राधिकार सहित पंजीकरण का ब्यौरा नवीन बिजली के बिल की प्रति 15% सीआईएस के लिए आयोजित पि टीयूएफएस के आवेदक द्वारा अनुरोध तारीख सृजित किया गया वास्तविक रोजगार इस परियोजना प्रबंधकीय सुपरवाः पुरुष महिला पुरुष नोट: मस्टर रोल/ईपीएफ रिकार्ड में नि किया गया वास्तविक उत्पादन	इकाई की कंपनी के पंजीकरण का ब्यौरा अथवा प्राधिकार सहित पंजीकरण का ब्यौरा नवीन बिजली के बिल की प्रति  15% सीआईएस के लिए आयोजित पिछली जेआई टीयूएफएस के आवेदक द्वारा अनुरोध प्रस्तुत वि तारीख सृजित किया गया वास्तविक रोजगार  इस परियोजना के पूरा हो प्रबंधकीय सुपरवाइजरी  पुरुष महिला पुरुष महिला  नोट: मस्टर रोल/ईपीएफ रिकार्ड में नियोक्ता का  किया गया वास्तविक उत्पादन  इस संख्या	इकाई की कंपनी के पंजीकरण का ब्यौरा अथवा उचित प्राधिकार सहित पंजीकरण का ब्यौरा नवीन बिजली के बिल की प्रति  15% सीआईएस के लिए आयोजित पिछली जेआईटी की त टीयूएफएस के आवेदक द्वारा अनुरोध प्रस्तुत किए जाने व तारीख सृजित किया गया वास्तविक रोजगार  इस परियोजना के पूरा होने के पश्च प्रबंधकीय सुपरवाइजरी क पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष नोट: मस्टर रोल/ईपीएफ रिकार्ड में नियोक्ता का अंशदान उ किया गया वास्तविक उत्पादन  इस परियोजन संख्या	इकाई की कंपनी के पंजीकरण का ब्यौरा अथवा उचित प्राधिकार सहित पंजीकरण का ब्यौरा नवीन बिजली के बिल की प्रति  15% सीआईएस के लिए आयोजित पिछली जेआईटी की तारीख टीयूएफएस के आवेदक द्वारा अनुरोध प्रस्तुत किए जाने की तारीख सृजित किया गया वास्तविक रोजगार  इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात सृजित कि प्रबंधकीय सुपरवाइजरी कामगार  पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष महिला नोट: मस्टर रोल/ईपीएफ रिकार्ड में नियोक्ता का अंशदान आदि जैसे सहा किया गया वास्तविक उत्पादन  इस परियोजना के पूरा होने संख्या  कारोबार (रुप	इकाई की कंपनी के पंजीकरण का ब्यौरा अथवा उचित प्राधिकार सहित पंजीकरण का ब्यौरा नवीन बिजली के बिल की प्रति  15% सीआईएस के लिए आयोजित पिछली जेआईटी की तारीख टीयूएफएस के आवेदक द्वारा अनुरोध प्रस्तुत किए जाने की तारीख सृजित किया गया वास्तविक रोजगार  इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात सृजित किया गया व प्रबंधकीय सुपरवाइजरी कामगार  पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष नोट: मस्टर रोल/ईपीएफ रिकार्ड में नियोक्ता का अंशदान आदि जैसे सहायक दस्ता किया गया वास्तविक उत्पादन  इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात साम करा व संख्या इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात कारोबार (रुपए में)	इकाई की कंपनी के पंजीकरण का ब्यौरा प्राधिकार सहित पंजीकरण का ब्यौरा नवीन बिजली के बिल की प्रति  15% सीआईएस के लिए आयोजित पिछली जेआईटी की तारीख टीयूएफएस के आवेदक द्वारा अनुरोध प्रस्तुत किए जाने की तारीख स्जित किया गया वास्तविक रोजगार  इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात सृजित किया गया वास्तविक रोजग प्रबंधकीय सुपरवाइजरी कामगार कुल पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष महिला नोट: मस्टर रोल/ईपीएफ रिकार्ड में नियोक्ता का अंशदान आदि जैसे सहायक दस्तावेज अपलोड वि किया गया वास्तविक उत्पादन  इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात कुल संख्या  इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात कुल कारोबार (रुपए में)	क्रमई की कंपनी के पंजीकरण का ब्यौरा अथवा उचित प्राधिकार सहित पंजीकरण का ब्यौरा नवीन बिजली के बिल की प्रति  15% सीआईएस के लिए आयोजित पिछली जेआईटी की तारीख टीयूएफएस के आवेदक द्वारा अनुरोध प्रस्तुत किए जाने की तारीख स्वित किया गया वास्तविक रोजगार  इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात सृजित किया गया वास्तविक रोजगार (स्तर- प्रबंधकीय सुपरवाइजरी कामगार कुल पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष नोट: मस्टर रोल/ईपीएफ रिकार्ड में नियोक्ता का अंशदान आदि जैसे सहायक दस्तावेज अपलोड किए जाने किया गया वास्तविक उत्पादन  इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात कुल संख्या कारोबार (रुपए में)	इकाई की कंपनी के पंजीकरण का ब्यौरा अथवा उचित प्राधिकार सहित पंजीकरण का ब्यौरा  नवीन बिजली के बिल की प्रति  15% सीआईएस के लिए आयोजित पिछली जेआईटी की तारीख  टीय्एफएस के आवेदक द्वारा अनुरोध प्रस्तुत किए जाने की तारीख  सृजित किया गया वास्तविक रोजगार  इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात सृजित किया गया वास्तविक रोजगार (स्तर-वार)  प्रबंधकीय  सुपरवाइजरी  कामगार  कुल  ईपीएफ योजना के शामिल व्यक्ति  पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष महिला  नोट: मस्टर रोल/ईपीएफ रिकार्ड में नियोक्ता का अंशदान आदि जैसे सहायक दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए  किया गया वास्तविक उत्पादन  इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात कुल संख्या  कारोबार (रुपए में)		

प्रमाणित किया जाता है कि:

इस प्रपत्र में दी गई सूचना सत्य और सही है और इकाई के पास उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है जिसे किसी भी समय पदनामित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।

731	72	۲.
44	101	

(हस्ताक्षर)

दिनांक:

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम)

नोट: कृपया प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर सहित कंपनी/इकाई की सील/रबर की मुहर लगाएं।

सभी मदों को ब्यौरे सहित भरें।

### भाग-11

### जेआईटी के समय इकाई द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाए (इकाई के पत्र शीर्ष पर)

1.	प्रमाणित किया जाता है कि मुझे/हर्मे पूर्व-प्राधिकृति किया गया है और मेड-अप्स क्षेत्र के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत 15% सीआईएस प्राप्त कर लिया है।
2.	प्रमाणित किया जाता है कि मुझे/हमें मेड-अप्स क्षेत्र के लिए 10% अतिरिक्त सीआईएस के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत रुपए के लिए पूर्व प्राधिकृत किया गया है।
3.	में/हम(लाभार्थी इकाई का नाम) एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि कोई मशीनरी अथवा उसका कोई पुर्जा जिसके लिए टीयूएफएस के अंतर्गत दावा का लाभ लिया गया/लिया जा रहा है, को इस बैंक और कोई अन्य बैंक/ऋणदाता एजेंसियों/वित्तीय संस्थाओं से एक से अधिक बार वित्त पोषित नहीं किया गया है। विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र (निर्धारित प्रपत्र में) की एक प्रति अपलोड कर दी गई है जिसे सब्सिडी का दावा करते समय मूल रूप से जेआईटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
4.	मैं/हम के द्वारा वचन देते हैं कि दस्तावेजों, कंपनी/इकाई की परिसंपत्तियों के सत्यापन के दौरान जीआर के दिशानिर्देशों के अंतर्गत डीपीआर/मानदंडों के अनुसार संभावित उत्पादन और रोजगार सृजन की प्राप्ति अथवा बाद में किसी भी समय एटीयूएफएस के अंतर्गत प्राप्त लाभ में यदि कोई अंतर/कमी पायी जाती है तो उसे इसकी प्राप्ति की तारीख से लागू दंड स्वरूप ब्याज सहित बैंक/सरकार को लौटा दी जाएगी।
5.	में/हम वचन देते हैं कि यह इकाई पिछले 3 वर्षों से तक प्रचालनशील है।
	(हस्ताक्षर)

मुहर सहित नाम और पदनाम

एटीयूएफएस के अंतर्गत 10% अतिरिक्त सीआईएस प्राप्त करने के लिए इच्छुक मेड-अप्स इकाइयों द्वारा संभावित उत्पादन, कारोबार और रोजगार सृजन की प्राप्ति पर संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) द्वारा प्रमाणन

- 1. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय में इकाई का आवेदन प्राप्त होने की तारीख:
- 2. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय द्वारा आबंटित यूआईडी सं.:
- 3. निरीक्षण की तारीखः

4	निरीक्षित इकाई का नाम एवं पता पिनकोड सहित	п
	तालुका/तहसील /मंडल: जिला:	
	राज्यः	
	पिनकोड:	
	फोन सं./मोबाइल सं.	
	फैक्स सं.	
	ई-मेल आईडी	
	इकाई का पैन नं.	
	पंजी. एसएसआई/ईएम नं. एवं तारीख	
	संबंधित व्यक्ति का नाम संपर्क नं.	
	क्या इकाई यूआईडी आवेदन में उल्लिखित पते पर कार्यशील पायी गई है	त हां नहीं
	यदि नहीं तो इकाई का वास्तविक पता	*
5.	तानुका/तहसील /मंडल:	
	जिला:	
	राज्य:	
	पिनकोड:	
6.	क)क्या इकाई द्वारा प्रपत्र-क में प्रस्तुत	
	तथा बैंक द्वारा प्रमाणित ब्यौरा सही पाया	π
	गया है अथवा नहीं	
	ख) यदि नहीं तो कृपया बताएं	
	ग) क्या प्रपत्र-ग1 में इकाई से घोषणा	
	प्राप्त कर लिया गया है और संलग्न कर	₹
	दिया गया है	
7	क) पिछले 3 वर्षों के दौरान किया गया	इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात कुल
	उत्पादन	संख्या कारोबार (रु. में)

					प्रथम व	वर्ष द्	वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
						×					
	नोट: वास्ति	वेकता का पत	ा लगाने के '	लिए बिक्री क	के रिका	र्ड/उत्पाद १	ल्किकेरिव	। हाई/लेखा परी	 क्षित वार्षिक र	 त्रेखाओं में दिए	गए आंकडों
		आंकड़ों का बि				Auto Nego I		- Val			
	डीपीआर औ अनुपात के डीपीआर के अनुमानित :	र जीआर के लिए न्यून अनुसार अव	अंतर्गत (1: तम निवेश नुपात) मानव राबर अथवा	गया उत्पादन 5 के कारोबार के अध्यधीन कों के अनुसार अधिक है और ो है।	(0.		नहीं				
8.	क) पिछले गया रोजव		दौरान सृी	जेत किया							
			इस परियोज	ाना के पूरा हो	ने के पश्चात	त सृजित '	किया गया	वास्तविक रोज	जगार (स्तर-वा	ार)	
	प्रबंध	<b>पकीय</b>	प्रबंध	ाकीय	प्रबंध	<b>ग</b> कीय		प्रबंधकीय		प्रबंधकीय	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिल	ग पुरुष	महिला	कुल
							_				
	-										
		। कता का पता कड़ों का मिला			के रिकार्ड	। /उत्पाद शुः	ल्क के रिक	 हि/लेखा परीधि	्रोत वार्षिक ले	्र खाओं में दिए ग	ाए आंकड़ों से
	रोजगार डीर्प और प्रत्येक नौकरी के व मानदंडों के	ोआर और ज एक करोड़ र न्यूनतम उद्र अनुसार अन् वा अधिक है	गिआर के अंत प्रपए के निवे योग मानदंड पुमानित रोज	त किया गया नर्गत (डीपीआर श के प्रति 60 के अध्यधीन) गार सृजन के वेजी साक्ष्य से	हां		नहीं				
9.			नंतर्गत 10 <sup>9</sup>	% अतिरिक्त	रुपए						
	सीआईएस										
	रुपए की व	प्तीआईएस स 10% आं	ीमा के भी	रस 20 करोड़ तर है (प्राप्त आईएस यदि	हां		नहीं				
10.	एटीयूएफए	स के अंत	तर्गत 15%	🎖 सीआईएस							
	के लिए वि	वेचार की	गई पात्र	मशीनरी की	रुपए	Jan Ha	THE SECTION				
	कुल लाग	ਜ									
	एटीयएफए	स के अ	ांतर्गत स्थ	गपित/आरंभ	10%3	मतिरिक्त	सीआईए	स			
	7.5			अनुबंध के							

	अनुसार प्रस्तुत की गई मशीन का ब्यौरा)	
	क्या जेआईटी सब्सिडी रिलीज करने की सिफारिश करती है	हां/ नहीं
	यदि हां, पात्र निवेश	रुपए
	यदि नहीं तो तत्संबंधी कारण	
11.	एटीयूएसफ के अंतर्गत 10% अतिरिक्त सीआईएस के अंतर्गत पात्र सब्सिडी की राशि	रुपए

इकाई के मालिक/ प्राधिकृत व्यक्ति के मुहर सहित हस्ताक्षर

(जेआईटी के हस्ताक्षर)